



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222105
CG-DL-E-29092020-222105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3011]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 3011]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

विषय : सार्वजनिक क्रय आदेश, 2017 (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) - औद्योगिक बाँयलरों (स्टीम जेनरेटर) के विनिर्माण के लिए माल में न्यूनतम स्थानीय सामग्री/सेवाओं की अधिसूचना के संबंध में।

का.आ. 3373(अ).—भारी उद्योग विभाग एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि भारत का राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 268(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक क्रय आदेश, 2017 (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता)- औद्योगिक बाँयलरों (स्टीम जेनरेटर) के विनिर्माण के लिए माल में न्यूनतम स्थानीय सामग्री/सेवाओं की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

[फा. सं. 16(4)/2018-एचईआई-भाग(1)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**(Department of Heavy Industry)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2020

Subject : Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017—notifying Minimum Local Content in Goods/Services for manufacturing of Industrial Boilers (Steam Generators)-reg.

S.O. 3373(E).—The department of Heavy Industry hereby notifies that the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- notifying Minimum Local Content in Goods/Services for manufacturing of Industrial Boilers (Steam Generators) published *vide* Gazette of India Notification No. S.O. 268(E), dated 16th January, 2020 is hereby withdrawn with immediate effect.

[F. No. 16(4)/2018-HEI-Part(1)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.